

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 172/2011
संस्थान दिनांक 18.04.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

..... अभियोगी

वि रु द्ध

रामलाल पिता राजाराम, आयु 42 वर्ष,
निवासी- शिव नगर, मूसाखेड़ी,
इन्दौर म.प्र.

..... अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 15.02.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 44/2011 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 में दिनांक 18.04.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.01.2011 को समय शाम 06:30 बजे टावर के पास, ग्राम बोरलाय में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न करने तथा फरियादी राजेन्द्र को घोर उपहति कारित करने के संबंध में धारा 279, 388 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 27.07.2015 को फरियादी राकेश तथा अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को राकेश के संबंध में धारा 338 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी राजेन्द्र के संबंध 279, 388 भा.द.सं. एवं राकेश के संबंध में 279 भादस किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुलिस थाना अंजड़ के सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव को आहत राजेन्द्र की प्री.एम.एल.सी. जॉच हेतु प्राप्त होने पर जॉच के दौरान आहत राजेन्द्र एवं गंगाराम तथा मुकेश के कथन लिये जिन्होंने अपने कथन में बताया कि वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 के चालक द्वारा मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत राजेन्द्र को टक्कर मार दी तथा दिनांक 23.01.2011 को समय 7:50 को एक आहत को ठेला चलाते समय चोंट लगने से अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्री.एम.एल.सी. एवं कथनों के आधार पर वाहन पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 के चालक के थाने के अपराध क्रमांक 44/2011 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी राजेन्द्र की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया। पुलिस ने अभियुक्त से वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को मय दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। चिकित्सक द्वारा आहत आहत राकेश एवं राजेन्द्र के एक्सरे में अस्थि भंग होना पाये जाने पर अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 भा.द.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.01.2011 को समय शाम 06:30 बजे टावर के पास, ग्राम बोरलाय में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण राकेश एवं राजेन्द्र का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादी राजेन्द्र को घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजेन्द्र (अ.सा.1), मुकेश (अ.सा.2), डॉ.कैलाश मालवीय (अ.सा.3), राकेश (अ.सा.4), श्यामलाल यादव (अ.सा.5) एवं डॉ.प्रकाशचन्द्र बरफा (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी राजेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की है। वह हाथ ठेले पर रेडिमेंट कपड़े बैचने का कार्य करता है। घटना वाले दिन वह ग्राम तलून से कपड़े बैचने गया था। शाम को वापस आ रहा था, तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दाहिने की अंगुलियों में चोटें आई थी उसकी पुत्र अक्षय एवं गाँव के अन्य व्यक्तियों ने उठाया था। उसका ईलाज बड़वानी अस्पताल में हुआ था, जिस व्यक्ति ने उसे टक्कर मारी थी उसे नहीं देखा था तथा सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता हूँ। पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने मोटरसाईकिल के चालक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने की बात पुलिस को प्रदर्शपी 1 के कथन में बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 के कथन में मोटरसाईकिल प्लसर का क्रमांक 9444 बताया था अथवा गंगाराम ने दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का क्रमांक लिखवाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्रदर्शपी 2 का पंचनामा पढ़कर नहीं बताया था और उसने पुलिस को वाहन का क्रमांक भी नहीं बताया था।

8. मुकेश असा 2, राकेश असा 4 ने भी दुर्घटना में राजेन्द्र को चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि उन्हें सूचना मिलने पर वे लोग राजेन्द्र को बड़वानी अस्पताल लेकर आये थे, वहाँ उसका ईलाज हुआ था। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन अभियुक्त उक्त टक्कर कारित करने वाली मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 और 5 का कथन देने से भी इंकार किया है। राकेश असा 4 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये इस सुझाव को स्वीकार किया कि दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही से नहीं हुई थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि ठेलागाड़ी वाला अपनी गाड़ी को लापरवाही से चलाकर लाया था, जिससे उसे पैर में चोट आई थी।

9. डॉ. प्रकाश बरफा असा 6 ने दिनांक 23.01.2011 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आहत राजेन्द्र का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके दाहिनी हाथ की मीडिल अंगुली एवं रिंग अंगुली में कटा हुआ घाव होना पाया था। उसने आहत के हाथ के लिए एक्सरे की सलाह दी थी तथा उक्त चोट 12 घंटे के भीतर सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आना संभावित है। साक्षी ने उसका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ठेले से टकराने से उक्त चोटें आना संभव है।

10. डॉ. कैलश मालवीया असा 3 ने दिनांक 24.01.2011 को जिला चिकित्सालय में बड़वानी में आहत राकेश के दाहिने हाथ का एक्सरे परीक्षण करने पर रिंग अंगुली के मध्य भाग एवं डिस्टल फेलिस में अस्थि भंग होना पाया था तथा एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है।

11. श्यामलाल यादव असा 5 का कथन है कि दिनांक 23.01.2011 को उसे थाना अंजड़ में आहत राजेन्द्र एवं राकेश की प्री.एम.एल.सी जाँच हेतु प्राप्त होने पर उसने आहत राजेन्द्र, साक्षी गंगाराम एवं मुकेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 के चालक के विरुद्ध प्रदर्शपी 5 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने राजेन्द्र के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन क्रमांक मोटरसाईकिल एम.पी 09 एम.एफ. 9444 को दस्तावेजों एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति सहित जप्त की थी। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आहत राजेन्द्र की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थि भंग होने से भा.द.स. की धारा 338 बढ़ाई गई। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा साक्षियों ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

12. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया है, जबकि प्रकरण के एक अन्य फरियादी राकेश ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है तथा दूसरे आहत राजेन्द्र स्वयं ने अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, तो यह प्रमताणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर राकेश एवं राजेन्द्र का मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर राजेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रामलाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुये धारा 279, 338 भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 9444 को दिनांक 21.04.2011 को उसके पंजीकृत अशोक कुमार पिता नानुराम निवासी- 89, विनोबा नगर, इन्दौर को सुपुर्दगीनामे पर दी गई है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी